भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2132

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट

2132. श्री रामचरण बोहरा :

डॉ. निशिकांत दुबे :

श्री थोमस चाज़िकाडन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट/नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और कामकाज का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में लंबित मामलों की राज्य वार संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना के लिए आवंटित और खर्च की गई कुल राशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे नयायालयों की स्थापना और अधिक संख्या में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यों को और अधिक धनराशि आवंटित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने नियमित न्यायालयों की तुलना में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की दक्षता निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक के दौरान देश में लंबित मामलों की संख्या के साथ-साथ राज्य-वार त्वरित निपटान न्यायालय/नए त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना और क्रियात्मकता का विवरण **उपाबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग): एफटीसी की स्थापना और निधि का आवंटन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी

आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करते हैं। 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2015-2020 के दौरान कुल 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसमें जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, मरणांत रोग से संक्रमित व्यक्तियों और संपत्ति से संबंधित सिविल मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित मामले 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। त्वरित निपटान न्यायालय ने आगे राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर न्यायागमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए निधि आवंटित करने का भी आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, आपराधिक विधिक (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, न्याय विभाग बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 1023 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। स्कीम अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी जिसे निर्भया फंड के अधीन वित्त पोषित किया गया है। 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 728 एफटीएससी कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय न्याय वितरण और विधिक सुधार मिशन द्वारा 2013 से योजना के अधीन न्याय विभाग द्वारा न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन, कार्रवाई अनुसंधान/ मूल्यांकन/ निगरानी अध्ययन, संगोष्ठियों/ सम्मेलनों / कार्यशालाओं का आयोजन, अनुसंधान और निगरानी गतिविधियों के लिए क्षमता निर्माण, रिपोर्ट/सामग्री का प्रकाशन, न्याय वितरण, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधार के क्षेत्रों में नवीन कार्यक्रमों / गतिविधियों को बढ़ावा देना है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । इस स्कीम के अधीन, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा "भारत में त्वरित निपटान न्यायालयों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन" पर एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, एफटीसी की स्थापना के साथ विशेष अवसंरचना, विशेष प्रशासन, और कर्मचारियों के अलग संवर्ग या प्रक्रिया में छूट नहीं थी। इसलिए, उनका कामकाज नियमित न्यायालयों से अलग नहीं है और उन्हें नियमित न्यायालयों की तरह ही संरचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण एफटीसी पर अत्यधिक भार पड़ा है। दक्षता में सुधार के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

• एफटीसी में अधिक अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति।

• राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली की विशिष्ट सिफारिशों की आवश्यकता जो त्वरित निपटान न्यायालयों पर लागू होती हैं।

• भारत के विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार न्यायाधीशों को एफटीसी में मामलों के निर्णय के लिए मामला-विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

• एफटीसी में सभी न्यायिक अधिकारियों की जिला स्तर पर मासिक बैठकें जिससे उनकी प्रगति की निगरानी की जा सके और त्वरित कार्यवाही में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।

• वीडियोकांफ्रेंसिंग/वीडियोग्राफी जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके देश के सभी एफटीसी में पीड़ितों विशेष रूप से महिलाओं और बालकों, को एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करना।

• न्यायाधीशों को कंप्यूटर, तकनीकी स्टाफ और इंटरनेट जैसी उचित और अद्यतन आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

• 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायाधीशों को प्रोत्साहन दिया जाना

• संवेदनशील साक्षी जमा करने के परिसर (जैसे दिल्ली में स्थापित) अन्य जिलों में भी स्थापित किए जाएंगे।

उपाबंध

लोक सभा में अतारांकित प्रश्न सं 2132 एफटीसी की स्थिति - चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यात्मक और लंबित मामले (राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार) में दिया गया उपाबंध

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दिसंबर, 2019		दिसंबर, 2020		दिसंबर, 2021		मई, 2022	
		कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन	कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन	कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन	कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन
1	आंध्र प्रदेश	21	33430	21	30577	21	6153	21	6153
2	असम	19	21235	14	41062	16	9942	17	9999
3	बिहार	57	142272	33	35921	0	0	0	0
4	छतीसगढ	38	37792	23	33143	23	6060	23	5379
5	दिल्ली	10	74904	5	13086	7	2776	08	2932
6	गुजरात	0	53951	0	13187	35	5633	35	5192
7	गोवा	0	0	0	1640	0	0	04	1806
8	हरियाणा	6	91966	5	3050	6	856	06	892
9	हिमाचल	0	23818	0	0	0	0	03	537
10	जम्मू-कश्मीर	5	0	1	1191	4	620	04	657
11	झारखंड	0	32585	40	20038	6	1009	33	7097
12	कर्नाटक	0	60852	13	8466	18	3962	24	5054
13	केरल	0	152782	23	11523	28	7653	14	4225
14	मध्य प्रदेश	0	97150	2	151	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	91	253655	116	674824	110	130868	107	130875
16	मणिपुर	4	2004	6	1686	6	430	06	490
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दिसंबर, 2019		दिसंबर, 2020		दिसंबर, 2021		मई, 2022	
		कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन	कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन	कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन	कार्यात्मक न्यायालय	मामलों विचाराधीन
18	मिजोरम	2	313	2	841	2	207	02	254
19	नागालैंड	0	147	1	119	0	0	0	0
20	उड़ीसा	0	70073	0	0	19	3244	0	0
21	पंजाब	0	80386	7	2248	7	300	07	275
22	पुदुचेरी	0	1155	0	0	0	0	0	0
23	राजस्थान	0	77530	0	0	0	23	0	0
24	सिक्किम	1	261	2	65	2	0	02	16
25	तमिलनाडु	74	188183	73	449359	74	97262	74	101328
26	तेलंगाना	29	41841	29	40510	35	12063	35	12538
27	त्रिपुरा	11	5747	11	6186	11	1607	03	1333
28	उत्तर प्रदेश	368	1435186	389	2097151	376	732759	372	843868
29	उत्तराखंड	4	22615	4	3556	4	763	04	855
30	पश्चिमी बंगाल	88	95923	87	214879	88	61335	88	70009
	कुल	**828**	**3097756**	**907**	**3704459**	**898**	**1085525**	**892**	**1211764**

****